बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या—पी०पी०एम०—05/2010 4713 /कृ०, पटना, दिनांक 15-10-2014

प्रेषक,

विश्वनाथ चौधरी,
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।**(+)

विषय : **राज्य योजनान्तर्गत कृषि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के व्यवहार के प्रोत्साहन की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2014—15 में कुल 4597200 रु० (पैंतालिस लाख संतानवें हजार दो सौ रुपये) मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत

निदेशानुसार कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या— 442 दिनांकः 21.01.2011 एवं 6468 दिनांकः 05.12.2012 एवं कृषि निदेशालय के गैर सरकारी प्रेषण संख्या— 892 दिनांकः 29.08.2014 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा राज्य योजनान्तर्गत कृषि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के व्यवहार के प्रोत्साहन की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2014—15 में कुल 4597200 रु० (पैंतालिस लाख संतानवें हजार दो सौ रुपये) मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि का व्यय बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बेल्ट्रॉन) के माध्यम से कृषि विभाग के लिए प्रतिनियुक्त किये गये कम्प्युटर ऑपरेटरों के पारिश्रमिक भुगतान के लिए किया जायेगा। राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा इसे बेल्ट्रॉन को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत राशि की आवश्यकतानुसार अग्रिम निकासी की जा सकेगी। अग्रिम निकासी के संबंध में वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांकः 17.04.1998 की सुसंगत कंडिका को इस हद तक शिथिल किया जाता है। शिथिलीकरण आदेश में कृषि मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या— 442 दिनांकः 21.01.2011 की अन्य शर्त्ते पूर्ववत रहेगी।

3. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि 4597200 रु० (पैंतालिस लाख संतानवें हजार दो सौ रुपये) का व्यय बजट शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म—उपमुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष 001—निदेशन तथा प्रशासन— मांग सं० 1— उपशीर्ष 0102— कार्यालयों का कम्प्युटरीकरण, विपत्र कोड P—2401000010102 राज्य योजना स्कीम कोड AGR-5009 विषय शीर्ष 13 01 कार्यालय व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014—15 के बजट में उपबंधित कुल 21319000 (दो करोड़ तेरह लाख उन्नीस हजार) रूपये से विकलनीय होगा।

4. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या—7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

5. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—पी0पी0एम0—05/2010 के पृ0सं0— 51/टि. पर दिनांक 08.10.2014 को प्राप्त है। आन्तरिक वित्तीय सलाहकार कोषांग का डायरी संख्या— 368 दिनांक— 07.10.2014 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

14.10.14

(विश्वनाथ चौधरी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनिल कुमार झा

धनन्जयपति त्रिपाठी

D:\2014-15\Sanlekh (2014-15)\ICT.docx

ज्ञापांक 4713 /कृ0, पटना, दिनांक 15-10-2014

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.10.14

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4713 /कृ0, पटना, दिनांक 15-10-2014

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.10.14

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4713 /कृ0, पटना, दिनांक 15-10-2014

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.10.14

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4713 /कृ0, पटना, दिनांक 15-10-2014

प्रतिलिपि : मंत्री कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, पी0पी0एम0 (कृषि विभाग)/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन, पटना/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/सभी कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं उद्यान निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.10.14

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनिल कुमार झा

Tripathi
धनन्जयपति त्रिपाठी

D:\2014-15\Sanlekh (2014-15)\ICT.docx